न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2021 /
Manual no- 80/2021

(Bank Case)

कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर–560004 एंव शाखा कार्यालय– 1–सी –18,एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा राजस्थान–324005 जरिये प्राधिकृत अधिकारी संजय कुमार सैनी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री राम प्रताप **(ऋणी/अप्रार्थीगण)**
   पता– मकान नं.–215, वार्ड नं.–3,पीपल्दा कलां, ईटावा, कोटा (राज.)
2. श्री दिवाकर गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता **(सहऋणी)**
   पता– मकान नं.–215, वार्ड नं.–3,पीपल्दा कलां, ईटावा, कोटा (राज.)
3. श्री कोमल चन्द गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता **(जमानती)**
   पताः 1–आई–16, महावीर नगर एक्सटेन्शन, कोटा।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 08.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर–560004 एंव शाखा कार्यालय– 1–सी –18,एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा राजस्थान से अप्रार्थी/ऋणी को ऋण खाता संख्या 188205000009 में कुल रूपये रू. 5,50,000 (अक्षरेः रूपये पांच लाख पचास हजार मात्र ।) ऋण राशि दिनांक 20.04.2015 को लिया था । अप्रार्थी ऋणीं द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री राम प्रताप की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 215, वार्ड नं.–3, पीपल्दा कलां, पीपल्दा, ईटावा, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1431 वर्ग फीट है। जो जर्ये ग्राम पंचायत पीपल्दा कंला के विकय विलेख दिनांक 05.07.2007 से श्री रमेश चन्द पुत्र श्री रामप्रताप महाजन के नाम है। सीमाएं– पूर्व में– रोड, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– राधावल्लभ त्रिवेदी का मकान है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 31.07.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 5,09,764/–(अक्षरे रूपये पांच लाख नौ हजार सात सौ चोषठ मात्र।) बकाया रकम दिनांक 12.08.2018 तक शेष देय है व दिनांक 12.08.2018 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है ।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 13.08.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीयसंस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 13.08.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 13.08.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री राम प्रताप की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 215, वार्ड नं.–3, पीपल्दा कलां, पीपल्दा, ईटावा, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 1431 वर्ग फीट है। जो जर्ये ग्राम पंचायत पीपल्दा कंला के विकय विलेख दिनांक 05.07.2007 से श्री रमेश चन्द पुत्र श्री रामप्रताप महाजन के नाम है। सीमाएं– पूर्व में– रोड, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– राधावल्लभ त्रिवेदी का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तों संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 08 .09.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)